

13⁸/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थित।
मूल वाद खारिज हो चुका है। लिखाजा उक्त
T. I. प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने
से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल
शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली